अमेरिका को सस्ते नौकर नहीं चाहिए : जेडी वेंस

एच-वन वीजा विवाद : ट्रंप ने मांगी प्रतिभा, वेंस ने ठुकराया

वॉशिंगटन, 15 नवंबर. अमेरिका में एच -1 वीजा को लेकर छिड़ी बहस एक बार फिर गरमाती दिखाई दे रही है.

इस बार विवाद के केंद्र में हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्होंने विदेशी कर्मचारियों को सस्ते नौकर कहकर एक नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है. उनका कहना है कि अमेरिका को कम वेतन वाले विदेशी कामगारों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि देश को उन तकनीकों की जरूरत है जो स्थानीय ब्लू-कॉलर वर्करों को अधिक सक्षम बना सकें. यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी प्रतिभा की कमी का हवाला देते हुए एच-1 वीजा की जरूरत बताई थी. दोनों शीर्ष नेताओं के

उलट बयान ने अमेरिकी राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. वेंस ने डेमोक्रेट्स पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका मॉडल विदेशी कम-वेतन कर्मचारियों को आयात करने पर निर्भर है, जिससे अमेरिकी नौकरियां और मजदूरी दोनों प्रभावित होती हैं. इसके विपरीत, वेंस का दावा है कि तकनीक और

दक्षिण कोरिया से आए कर्मचारी करते थे प्रशिक्षित

यह टिप्पणी न केवल विवादित रही, बल्कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा विचारधारा के भी पूरी तरह विपरीत दिखाई दी. ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है, और इसलिए कुछ सेक्टर जैसे बैटरी निर्माण में विदेशी विशेषज्ञों की जरूरत बनी हुई है. उन्होंने जॉर्जिया के बैटरी प्लांट का मामला उठाते हुए बताया कि वहां दक्षिण कोरिया से आए कर्मचारी जटिल बैटरी निर्माण तकनीक में माहिर थे और अमेरिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करते थे.

नवाचार से स्थानीय नागरिकों को अधिक अवसर मिलेंगे. ट्रंप के बयान और वेंस की प्रतिक्रिया ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर एच-1 वीजा पर रिपब्लिकन पार्टी की एक-समान नीति है भी या नहीं. इस टकराव ने आने वाले समय की सियासत को और दिलचस्प बना दिया है. अमेरिका में एच-1 वीजा से जुड़े मुद्दे हमेशा से राजनीतिक बहस का केंद्र रहे हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हालिया बयान ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को सस्ते विदेशी नौकरों की जरूरत नहीं है.

वेंस का आरोप है कि डेमोक्रेट्स की नीति विदेशी मजदूरों को आयात करके अमेरिकी श्रम बाजार को सस्ता बनाने की रही है. इससे विपरीत, वे सुझाव देते हैं कि देश को ऐसी तकनीकों में निवेश करना चाहिए जो स्थानीय अमेरिकी कर्मचारियों को अधिक उत्पादक, कुशल बना सके. इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के विपरीत बयानों ने रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी वैचारिक असहमति को उजागर कर दिया है. एक पक्ष विदेशी प्रतिभा को नवाचार का इंजन मानता है, दूसरा पक्ष इसे अमेरिकी श्रमिक वर्ग के हितों के खिलाफ देखता है. एच-1 वीजा पहले से ही अमेरिका में सियासी ध्रुवीकरण का बड़ा मुद्दा रहा है.

पीजीआई के पास अतिक्रमण केस निपटाए एलडीए : उच्च न्यायालय

लखनऊ 15 नवंबर. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एलडीए के विहित प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वह पीजीआई के आसपास अतिक्रमण संबंधी मामले का दो माह में निस्तारण करें.

अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ को भी निर्देशित किया है कि उक्त के संबंध में जो अपील उनके समक्ष विचाराधीन है, उसका भी दो माह में निस्तारण किया जाए. न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय निवासी प्रेम शंकर पांडेय की वर्ष 2018 में दाखिल

जनहित याचिका पर दिया है. याचिका में राजधानी के अस्पतालों के आस-पास से अतिक्रमण हटाने का आदेश देने का आग्रह किया गया था. साथ ही पीजीआई के मेन गेट के सामने और आस पास अतिक्रमण को हटाए जाने की गुजारिश की गई थी. जिससे वहां खास तौर पर एम्बुलेंस व अन्य जरूरी वाहनों व लोगों का आवागमन सुचारु हो सके.

ब्राजील में गोलीबारी छह की मौत, एक घायल

रियो डी जेनेरियो. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थिति एक पार्टी हॉल में कथित प्रतिद्वंद्वी आपराधिक गिरोहों के बीच शुक्रवार को हुई गोलीबारी में कम से कम छह लोग मारे गए और एक अन्य घायल हो गया.

स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि गोलीबारी उत्तरी होनोरियो गुरगेल इलाके में हुई जहां कथित तौर पर आपराधिक गिरोह कोमांडो वर्मेलो के सदस्य एक पार्टी कर रहे थे. प्रतिद्वंद्वी गिरोह टेरसीरो कोमांडो पुरो ने आयोजन स्थल पर धावा बोला दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई.

खुफिया एजेंसियों की भूमिका कमजोर

नईदिल्ली, 15 नवबंर. श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन के बाहर देर रात हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. इस दर्दनाक घटना में कई बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घटना की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त की और शहीदों के परिवारों को शक्ति देने की प्रार्थना की, लेकिन संवेदना व्यक्त करने के साथ ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए धमाके की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि श्रीनगर की यह घटना फिर सुरक्षा तंत्र पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रही है.

महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में वेनेजुएला-भारत में सहयोग

विशाखापत्तनम. दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला ने दुर्लभ खनिज क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग स्थापित करने और इस क्षेत्र में भारत से निवेश आकर्षित करने की इच्छा प्रकट की है. भारत ने वेनेजुएला से भारतीय औषधियों के लिए बाजार व्यवस्था को आसान बनाने का सुझाव दिया है और वाहन क्षेत्र में भी द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं का लाभ उठाने पर बल दिया है. वेनेजुएला के खनन विकास मंत्री हेक्टर सिल्वा ने शुक्रवार को यहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों पर बातचीत की.

फायर सुरक्षा सर्टिफिकेट का रिन्यूअल पूरी तरह ऑनलाइन

नई दिल्ली, 15 नवंबर. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के नवीनीकरण व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया है. श्रीमती गुप्ता ने शनिवार को यहां पोर्टल फॉर ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ महीनों में दिल्ली सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं, जिनका सीधा लाभ राजधानी के व्यापारियों, नागरिकों और विविध संस्थानों को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि फायर परमिट, लाइसेंसिंग और अन्य अनिवार्य अनुमोदनों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सिंगल-विंडो सिस्टम में परिवर्तित किया गया है.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बड़वानी (म. प्र.)

E-mail : eephedbar@mp.nic.in

नि. आ.सू. क्र./11/निविदा/का.यं. / लोस्वायां / 2024-25 | बड़वानी, दिनांक 06.11.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

ई- टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल https://www.mptenders.gov.in/ पर बड़वानी जिले के विकासखण्ड पानसेमल एवं निवाली के विभिन्न ग्रामों में स्थित हैडपम्पों के मेजर एवं मायनर संधारण कार्य हेतु आनलाईन निविदा सिस्टम टेण्डर न. 2025_PHED_461590_1, 2025_PHED_461591_1 द्वारा वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in/ पर आमंत्रित की गई है।

आनॅलाईन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि :-	21.11.2025	17:30 बजे
आनॅलाईन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि :-	21.11.2025	17:30 बजे
आनॅलाईन निविदा दर खोलने की अंतिम तिथि :-	22.11.2025	18:00 बजे

निविदा फार्म उपर दर्शित वेबसाईट (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है। निविदा एव उससे संबंधित विस्तृत जानकारी उपर दर्शायी गयी वेबासईट पर उपलब्ध है।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा.यां खण्ड बड़वानी

G21505/25

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, खजराना चौराहा शाखा, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, खजराना चौराहा शाखा, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की बकाया राशि (₹)	मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक
1	खजराना चौराहा शाखा, इन्दौर 94256 00282	**मेसर्स राज इम्पेक्स, प्रो. श्री सुनील हरिराज गुरु, श्री सुनील हरिराज गुरु, मेसर्स रेणुका एक्पोर्ट्स, प्रो. मोनिका तंवर एवं श्रीमती मोनिका तंवर पिता नंद किशोर तंवर (ऋणी) एवं श्री नंद किशोर तंवर पिता रतनलाल तंवर (जमानतदार)**	मकान नं. 123/1, पिपलियाराव, तहसील एवं जिला इन्दौर (म.प्र.), **क्षेत्रफल: 720 वर्गफीट, सीमाएं: उत्तर:** गली, **दक्षिण:** गली, **पूर्व:** बंशीलालजी तंवर का मकान, **पश्चिम:** माधव सिंह तंवर का मकान	**31,93,198.93** + दिनांक 01.09.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चें	03.09.2025 / 13.11.2025

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 16.11.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

Form No. IV
(See Sub rule 2(A) of Rule 5)
IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT
2nd and 3rd Floor, BSNL Building, Near Head Post Office,
Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
O. A. No. 723/2025

Central Bank of India, ...Applicant
VERSUS
M/s Star Shoppe et. al. ...Defendants
SUMMONS

M/s Star Shoppe
Through its Proprietor Gulrej Khan S/o Shri Safik Khan
Registered Office at Jawahar Tekri, Behind Sai Mandir, Dhar Road, Indore (M.P.) 452002
Gulrej Khan S/o Shri Safik Khan
78, Geeta Nagar, Sudama Nagar, Indore (M.P.) 452009

Wheareas, OA No. 723/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 01.07.2025.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 69,88,314.58/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No.3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear before Registrar on **26.12.2025** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal on this the **25th Day of September, 2025.**

SEAL — By Order of the Tribunal
Registrar, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

Form No. IV
(See Sub rule 2(A) of Rule 5)
IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT
2nd and 3rd Floor, BSNL Building, Near Head Post Office,
Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
O. A. No. 714/2025

Central Bank of India, ...Applicant
VERSUS
M/s Namo Health Care et. al. ...Defendants
SUMMONS

M/s Namo Health Care
Through its Proprietor Dilip Mukati S/o Shri Bhaiyalal Mukati
Registered Office at 74, 3rd Floor, Dawa Bazar, 13-14, R.N.T. Marg, Indore (M.P.) 452001
Dilip Mukati S/o shri Bhaiyalal Mukati
Sangwri Raver, Khargone (M.P.) 452001

Wheareas, OA No. 714/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 01.07.2025.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 53,16,336.56/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No.3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear before Registrar on **26.12.2025** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal on this the **25th Day of September, 2025.**

SEAL — By Order of the Tribunal
Registrar, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 सीआरपीसी/84 भा.न.स.स.देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि **रोशन सिंह** पुत्र स्वर्गीय चिराग सिंह, निवासी- 754 मौहल्ला आकाश नगर थाना हवा बंगला जिला. इंदौर, मध्य प्रदेश ने **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 745/2015 धारा 380/451/34भा.द.स, थाना रूप नगर, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **रोशन सिंह** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है की उक्त अभियुक्त **रोशन सिंह** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा कि जाती है की उक्त अभियुक्त **रोशन सिंह, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 745/2015 धारा 380/451/34भा.द.स, थाना रूप नगर, नई दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **19.12.2025** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेश से
सुश्री हिमांशी त्यागी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 13
केंद्रीय, कमरा संख्या 33, भूतल
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

DP/15298N/2025

आज का इतिहास

1713 बाला जी विश्वनाथ को साहू ने पेशवा नियुक्त.

1776 ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिका की क्रांति के दौरान फोर्ट वाशिंगटन पर कब्जा किया.

1840 न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा बना.

1945 यूनेस्को की स्थापना हुई.

1846 उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म.

1849 रूस के प्रसिद्ध लेखक फ्योदोर दोस्तोवस्की को फांसी की सजा.

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

विभिन्न सिग्नलिंग कार्य

निविदा सूचना सं. **S&T/BRC/25-26/27/SIG**
दिनांक : **11-11-2025**

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से कार्यरत Sr.DSTE/वडोदरा निविदा सं. SandT_ BRC_ 25-26_27_SIG के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। बिडर्स बिड बंद होने की तारीख और समय तक उनके प्रमाणित/संशोधित जमा कराने को समर्थ रहेंगे, यह निविदा के सामने मेन्युअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है एवं ऐसे किसी भी प्रकार के मेन्युअल प्रस्तावों को ध्यान में नहीं लिया जायेगा। (1) कार्य का नाम उसके स्थान सहित: वडोदरा मंडल के वरि.DSTE/उत्तर के क्षेत्राधिकार आधिन के तमाम SSEs आधिन मध्यकालिन दोषपूर्ण/ पुराने सिग्नलिंग गीयर्स एवं उपकरण की सुरक्षा और विश्वसनियता सुधार तथा प्रतिस्थापन करने का कार्य। (2) कार्य की अनुमानित लागत: ₹ 2,19,18,729.33 (3) जमा कराने की बयाना राशी: ₹ 2,59,600.00 (4) ई-निविदा जमा कराने एवं ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: दिनांक 04/12/2025 को 15:00 बजे एवं दिनांक 04/12/2025 को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी (5) वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं आदि: http://www.ireps.gov.in वरिष्ठ मंडल संकेत व दुरसंचार अभियंता, द्वितीय तल, एनेक्ष बिल्डींग, म.रे.प्र. कार्यालय, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004.

BRC-250

हमें फॉलो करें: X DRMBRCWR • drm_vadodara

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

Form No. IV
(See Sub rule 2(A) of Rule 5)
IN THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL AT
2nd and 3rd Floor, BSNL Building, Near Head Post Office,
Civil Lines, Jabalpur (M.P.) 482001
O. A. No. 722/2025

Central Bank of India, ...Applicant
VERSUS
M/s AR Kuber LLP et. al. ...Defendants
SUMMONS

M/s AR Kuber Retails LLP
Through its Partners (1.) Mrs. Rubal Tyagi, (2.) Avnesh Kumar Tyagi
Registered Office at 3/603, Shubham Nariman Enclave, Chhota Bangarda, Indore (M.P.) 452001
Shop at 34, Telephone Nagar, Main Road, Kanadia, Indore (M.P.) 452016
Mrs. Rubal Tyagi W/o Shri Avnesh Tyagi
Flat No. 603, Building No. 3, Block C, Near Super Corridor, S.N. Enclave, Nariman City, Indore (M.P.) 452005
Avnesh Kumar Tyagi s/o Shri Raghunath Singh Tyagi
Flat No. 603, Building No. 3, Block C, Near Super Corridor, S.N. Enclave, Nariman City, Indore (M.P.) 452005

Wheareas, OA No. 722/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer on 01.07.2025.

Whereas the Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 50,60,111.63/-**. (Application along with copies of documents etc. annexed)

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you the defendants are directed as under :-

1. To show case within thirty days of the service of the summons as to why relief prayed for should not be granted.
2. To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under Serial No.3A of the original application.
3. You are restrained from dealing without disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under Serial No. 3A of the Original Application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
4. You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise. except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest created and /or other assets and properties specified or disclosed under Serial No. 3A of the Original Application without the prior approval of the Tribunal.
5. You shall be liable to account for the sale proceeds realized by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank of financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the Written Statement with a copy there of furnished to the applicant and to appear before Registrar on **26.12.2025** at **10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of the Tribunal on this the **25th Day of September, 2025.**

SEAL — By Order of the Tribunal
Registrar, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking | सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
अंचल कार्यालय: प्लाट नं. 04, पीएसपी एरिया, एम्स के समीप, साकेत नगर, अंचल कार्यालय, भोपाल
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर, फोन: 7049919126

ई-नीलामी सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी (ऑनलाइन) के विक्रय की सूचना सरफेसी अधिनियम 2002 एवं सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं (9) के अन्तर्गत

यह सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का कब्जा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिमार्ण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत ले लिया है, सेवाप्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि.** के द्वारा संचालित ई-नीलामी निम्न शर्ते एवं नियम के आधार पर संपत्ति का विक्रय वेबसाईट **https://baanknet.com/** द्वारा की जायेगी।

क्रं.	शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	ऋणी/सह ऋणी एवं जमानतदार का नाम	संपत्तियों का विवरण	क्षेत्रफल	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का प्रकार	बकाया राशि (₹)	आरक्षित मूल्य (₹) / धरोहर राशि	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
1.	बुरहानपुर शाखा 9425326221	**श्रीमती सविता शर्मा पति राम नारायण शर्मा, श्री राम नारायण शर्मा एवं श्री शिव नारायण शर्मा**	खसरा नं. 15, प्लाट नं. 16, इंद्रा नगर, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331 पर स्थित रहवासी मकान, **मालिक: श्रीमती सविता शर्मा पति राम नारायण शर्मा,** सीमाएं: **उत्तर:** नाला एवं श्री बरी समाज की सोसाईटी की संपत्ती, **दक्षिण:** 30 फीट चौड़ी सड़क, **पूर्व:** प्लाट नं. 15, **पश्चिम:** प्लाट नं. 17	1977.60 वर्गफीट	सांकेतिक कब्जा	मकान	**4,08,077.50** ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2025 से	**Rs. 60,88,000** / **Rs. 6,08,800**	**17.12.2025** दोपहर 12.00 से 2.00 बजे तक (यदि आवश्यकता हुई तो प्रत्येक 5 मिनट का विस्तार)

नियम एवं शर्ते: संपत्ति का विक्रय सेक्यूरिटी इंट्रेस्ट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत एवं नीचे वर्णित शर्तो के आधार पर ही होगा। (1) संपत्ति का विक्रय भार सहित **''जहाँ है जैसी है, जैसी है वैसी है एवं जो कुछ भी है''** के आधार पर होगा। बैंक की जानकारी में संपत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। (2) नीलामी/बोली केवल **ऑनलाइन इलेक्टानिक बोली** के माध्य से वेबसाइट **https://baanknet.com/** के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। (3) संपत्ति का निरिक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेकर **दिनांक 16.12.2025 को प्रात: 10.30 से सायं 5 बजे** के बीच कर सकते है। (4) आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति का विक्रय नही होगा। विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी के मध्य अपनी बोली आगे बड़ा सकते है। (5) ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक, संबंधित शाखा** के पक्ष में **दिनांक 16.12.2025 तक या इसके पूर्व सायं 5.00 बजे** तक जमा करना होगा। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओ के पास अपना वैद्य डिजीलॉकर एवं ई-मेल पता होना चाहिए। (7) ईएमडी राशि चुकाने के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी **दिनांक 16.12.2025 के पूर्व सायं 05.00 बजे तक केनरा बैंक, संबंधित शाखा** में व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा जमा हो जाना चाहिए। (1) ईएमडी की राशि यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के द्वारा जमा की हो तो उसकी प्राप्त रसिद यूटीआर नं. सहित। (2) पेन कार्ड, आईडी प्रूफ एवं एड्रेस प्रूफ कॉपी जबकि सफल बोलीकर्ता द्वारा इनके मूल दस्तावेज बैंक को बिड राशि की 25% जमा करते समय देना होगा। (3) बोलीकर्ता का नाम, संपर्क नं., पता, ई-मेल आईडी (4) ऑनलाइन ईएमडी की राशि वापस करने के लिए बोलीकर्ता के खाते की विस्तृत जानकारी। (8) इच्छुक बोलीकर्ता को अपना नाम पोर्टल **https://baanknet.com/** पंजीकृत करना होगा एवं उनकी यूज़र आईडी, पासवर्ड नि:शुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीकर्ता सेवाप्रदाता **पीएसबी एलयांस प्रा.लि., ईमेल आईडी: support.baanknet@psballiance.com, फोन नं.: 8291220220** से ऑनलाइन ई-नीलामी की प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण ले सकते है। (9) नीलामी असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि संपत्ति के विक्रय की पुष्टिके दो दिन पश्चात वापस कर दी जावेगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। (10) नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी जैसा की उपर वर्णित है। बोलीदाताओं को **25,000 रुपये के गुणक** में अपनी पेशकश में सुधार करना होगा। ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होते समय बोलीकर्ता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाती है (आरक्षित मूल्य से कम नही) तो उस बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि के पश्चात ही सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय की पुष्टि की जावेगी। (11) सफल बोलीकर्ता को उसके पक्ष में बोली की पुष्टि के तुरंत बाद उसी दिन या उसके अगले कार्यदिवस पर विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमडी की राशि सहित जो पूर्व में जमा की गई है) जमा करनी होगी एवं शेष राशि सुरक्षित देनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता उपर वर्णित समयावधि में राशि चुकाने में असफल होता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में बिना कोई सूचना दिए उसकी जमा राशि जप्त कर ली जावेगी एवं संपत्ति का पून: विक्रय किया जावेगा। (12) सफल बोलीकर्ता द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन में होने वाले सभी खर्च, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉम्प ड्यूटी, टेक्सेस, सरकारी बकाया इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे। (13) प्राधिकृत अधिकारी के पास बोली को स्थगित करने, आगे बढ़ाने या नियम व शर्तो को बिना पूर्व सूचना दिये बदलने का अधिकार सुरक्षित है। (14) **विस्तृत जानकारी के लिए केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, फोन नं.: 7049919126 पर संपर्क करें।** विशेष निर्देशन/सावधानी: यह बोलीदाता/कर्ता के हित में होगा कि वे आखिरी क्षण में बोली न लगाएं क्योंकि किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली कट जाना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति हेतु बेक-अप की तैयारी रखें ताकि ऐसी स्थिति को दरकिनार कर सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।

स्थान : इंदौर, दिनांक : 16.11.2025 — प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक